राजनीति

नीतिशास्त्रों के आलोक में

लेक्चर आउटलाइन

- राजा तथा राज्य
- प्राचीन भारत के प्रमुख राज्यों का काल
- चार उपाय- साम, दान, दंड, भेद
- राजनीति के अनिवार्य सात गुण
- मंत्री एवम् आमात्य की नियुक्ति और परीक्षा
- ख़ुफ़िया पुलिस की नियुक्ति, प्रकार, कार्य तथा व्यवहार
- राजा की सजगता
- मंत्रणा के नियम
- सन्निधाता
- दूत की नियुक्ति
- राजा के समय का दिन तथा रात का बटवारा
- राजस्व और उसका स्रोत
- आय-व्यय का लेखा-जोखा
- व्यापारी और ग्राहक का ध्यान
- न्यायधीश को दंड

नीतिशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रन्थ

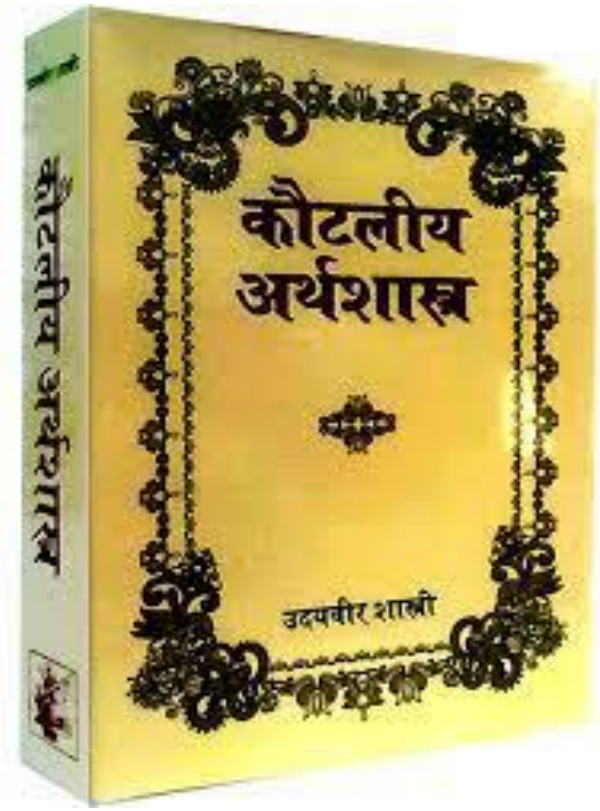

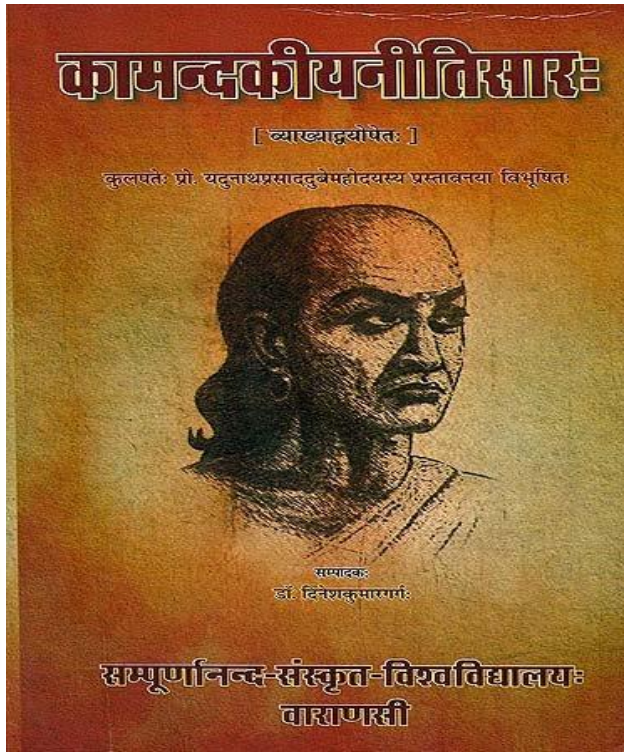

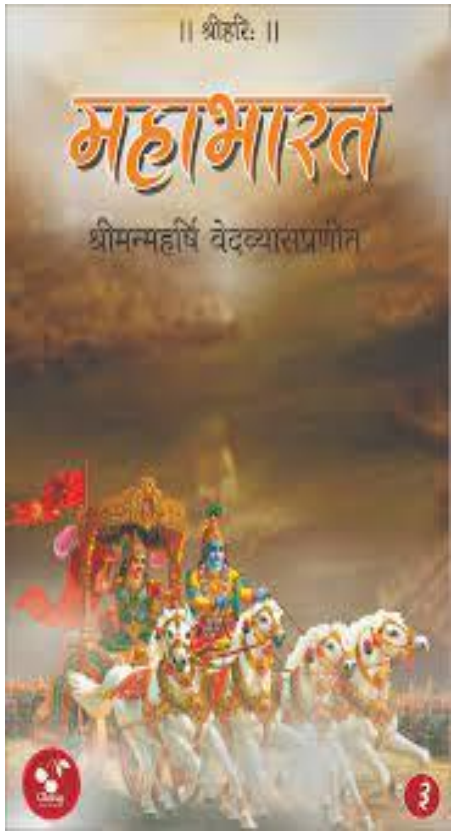

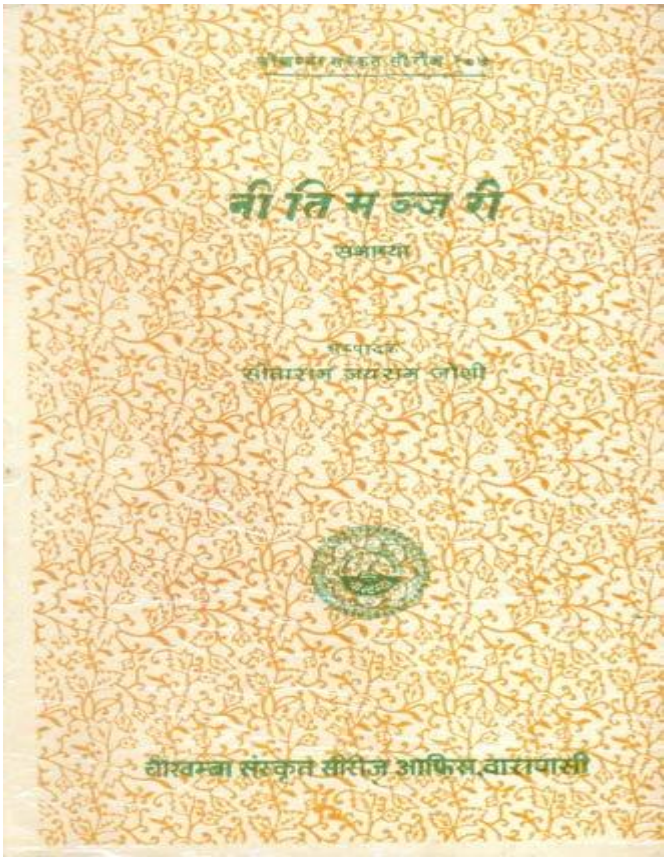

नीतिशास्त्र के प्रमुख आचार्य

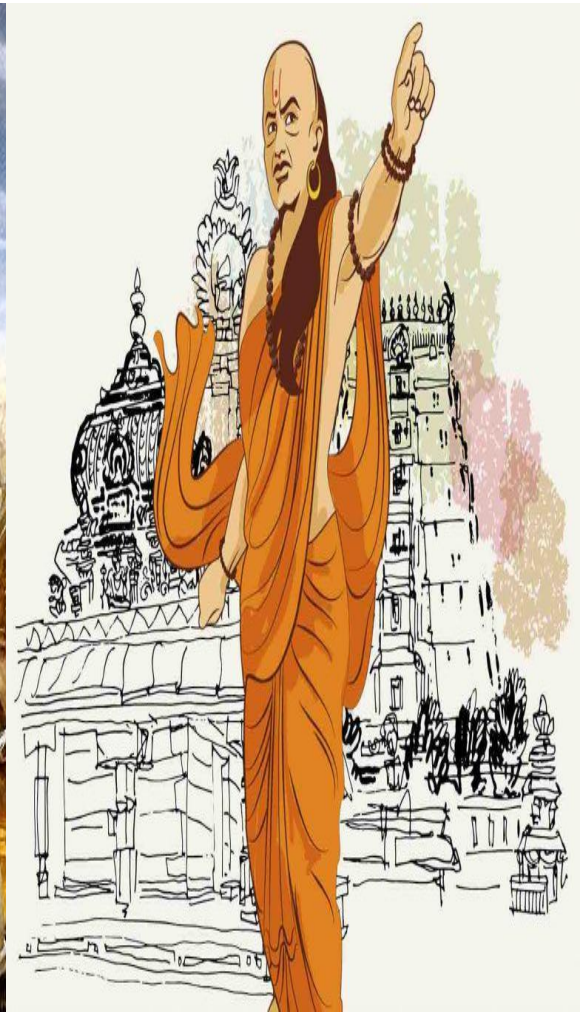

भारतीय चिंतन की मूल विशेषताएं

- भारतीय चिंतन की कुछ ऐसी भूमियाँ हैं जहाँ शतशः भारतीय बनकर ही अभिनिवेश प्राप्त किया जा सकता है
- अभिनिवेश के बिना मात्र अनुप्रवेश द्वारा यह भारतीय मनीषा के मर्म का रहस्य जानना मुश्किल है
- भारतीय दृष्टि द्वन्द नहीं युग्म में अभ्यस्त है और यह प्रतिवाद से अधिक ‘परिपूरण’ को महत्व देती है
- पश्चिमी चिन्तन-पद्धति सब कुछ की संरचना में एक द्वंदात्मक प्रक्रिया में ही अविष्कृत करती है

- भारतीय संस्कृति की विशेषता इसी में है कि वह एकांगी नहीं है ...वह समग्र दृष्टी से वस्तु को देखती है, समग्र दृष्टि से मनुष्य को देखती है और परीक्षा करती है मनुष्य और वस्तु के संबंध की
- भारतीय संस्कृति में औचित्य का निर्णय न अकेले राजनीति करती है, न अकेले शास्त्र करता है, न अकेले लोकमत करता है, न साधुजन ही एकांत निर्णायक होते हैं ...जो निर्णय लिए जाते रहें हैं उसमें एक ऐसी संगीति बैठाने की कोशिश होती रही है कि कोई भी विश्रृंखल न होने पाए ..यह संस्कृति इसीलिए इतनी संश्लिष्ट है जो कभी भी दोटूक बात कहने में विश्वास नहीं करती है ..इस रूप में नहीं बाटती की यह निरपेक्ष रूप से सत्य है या निरपेक्ष रूप से असत्य ...वह सबकी सापेक्षता देखती है ..परिस्थिति क्या है? काल क्या है? कर्ता कौन है? सहायक कौन है? इन सबको देखती हुई वह निर्णय लेती है....इसलिए सत और असत दो कोटि बनाने वाली विचारधाराओं की समझ में यह संस्कृति कम आती है

नीति का अर्थ

- नीति शब्द का सम्बन्ध संस्कृत के ‘नी’ धातु से है जिसका अर्थ है- ‘ले जाना’ अथवा ‘पथ-प्रदर्शन करना
- जिस विद्या के द्वारा अपने अभीष्ट अर्थ पर पहुंचा जाय अथवा अपने अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति जिस विद्या से हो, वह नीति है
- मानव जीवन के लक्ष्य की सिद्धि में नीति के द्वारा ही उचित मार्ग का निर्देश होता है

दंडनीति का महत्व

- सत्यस्यापि न हि सत्यता दंडनीतेस्तु विप्लवे
- आचार्य कामंदक कहते हैं कि दंडनीति के अभाव में सत्य की भी प्रतिष्ठा नहीं रह पायेगी।

- साँप और दुष्ट दोनों क्रूर-कठोर कर्मवाले होते हैं। परन्तु सर्प-विष जहाँ मंत्र से और दवा से छूट सकता है वहीं खल-दुष्ट का न कोई मन्त्र है न दवा। ध्यान देने की बात है कि इससे बढ़कर दुष्टों से सावधान रहने का और कोई उपाय नहीं, यह है गहन नीति।

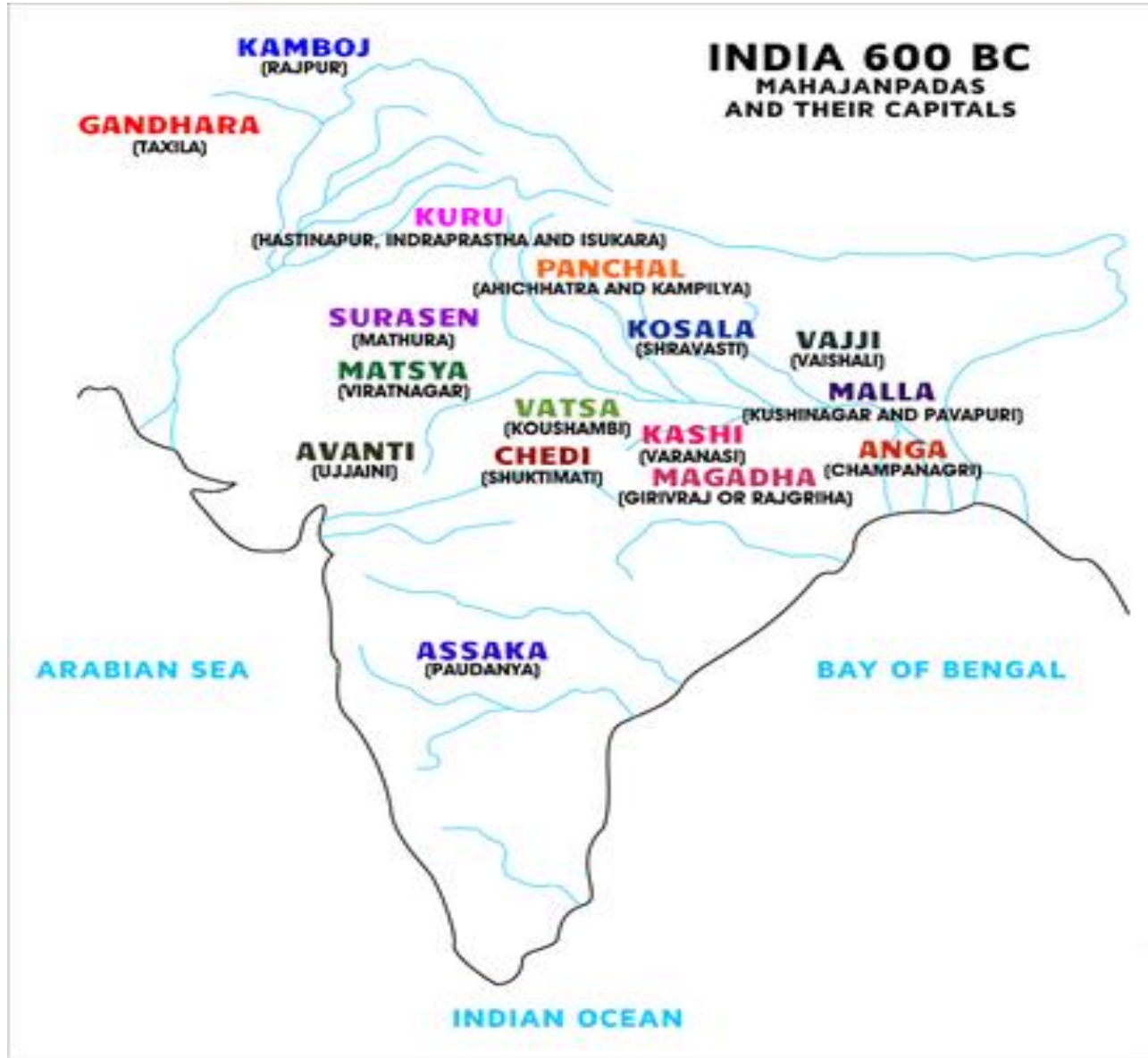
INDIA 600 BC
MAHAJANPADAS
AND THEIR CAPITALS
KAMBOJ
(RAJPUR)
GANDHARA
(TAXILA)
KURU
(HASTINAPUR, INDRAPRASTHA AND ISUKARA)
PANCHAL
(AHICHHATRA AND KAMPILYA)
SURASEN
(MATHURA)
KOSALA
(SHRAVASTI)
VAJJI
(VAISHALI)
MATSYA
(VIRATNAGAR)
MALLA
(KUSHINAGAR AND PAVAPURI)
VATSA
(KOUSHAMBI)
KASHI
(VARANASI)
ANGA
(CHAMPANAGRI)
AVANTI
(UJJAINI)
CHEDI
(SHUKTIMATI)
MAGADHA
(GIRIVRAJ OR RAJGRIHA)
ASSAKA
(PAUDANYA)
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
INDIAN OCEAN

शासक का महत्व, गुण और उत्तरदायित्व

राजा का महत्व

महाभारत शांतिपर्व

- राजा प्रजानां प्रथम शरीरं, प्रजाश्च राज्ञोअप्रतिम शरीरं।
- राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा, देशैर्विहिना न नृपा: भवन्ति॥
- राजा प्रजानां हृदयं गरियो, गति: प्रतिष्ठा सुखमुत्तम च।
- समाश्रिता लोकमिमम परं च, जयन्ति सम्यक पुरुषा: नरेन्द्र॥

अर्थ..

- राजा समस्त प्रजाओं की सावयव प्रस्तुति है, वह प्रजा का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है। प्रजा भी राजा का अनुपम एवम् अप्रतिम शारीरिक स्वरुप है। राजा के बिना कोई देश और उसके निवासी नहीं रह सकते हैं। राजा प्रजा का गुरुतर हृदय, गति, प्रतिष्ठा, और उत्तम सुख है।

चन्द्रगुप्त

कामन्दक का देश-हित विचार

- अपूज्या यत्र पूजयन्ते पूज्यनां च विपर्ययः।
- त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं॥

- चौदहवें सर्ग में कामन्दक कहते हैं- कटुभाषण, कठोर दंड, लोभ, मद्यपान, स्त्री लम्पटता, शिकार, जुआ, आलस्य, अकड़, अभिमान, प्रमाद और कलहप्रियता- इन बारह व्यसनों का जो त्याग करे वही देश का हित कर सकता है।

शासक के कार्यों दिन-रात में बंटवारा

- दिन को आठ भागों में बाटकर कार्य करना चाहिए:
- 1-दिन के पहिले भाग में राष्ट्र-रक्षा का प्रबंध तथा आय-व्यय विषयक बातें सुने
- 2- दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के कार्यों का निरीक्षण करे
- 3- तीसरे भाग में नहाये और भोजन और स्वाध्याय भी करे
- 4- चौथे भाग में उपहार डाली लेने के साथ दो अध्यक्षों की नियुक्ति करे
- 5- पांचवें भाग में पत्रभेजकर मंत्रीपरिषद को बुलावे, ख़ुफ़िया लोगों से गुप्त बातें सुने
- 6- छठे भाग में स्वच्छंद विहार करे या सलाह करे
- 7- सातवें भाग में हाथी, घोड़ा रथ तथा पदातियों की देख रेख करे
- 8- आठवें भाग में सेनापति के साथ सैनिक कार्य तथा आक्रमण संबंधी विचार करे फिर संध्या करे

रात के आठ भागों का बंटवारा

- 1- रात के पहिले भाग में ख़ुफ़िया पुलिस के लोगों से बात-चित करे
- 2- दूसरे भाग में स्नान, भोजन, तथा स्वाध्याय करे
- 3- तीसरे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही सोने के लिए कमरे में जाय
- 4,5- चौथे तथा पांचवें भाग में सोए
- 6- छठे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही उठे, शास्त्र का विचार करे और आवश्यक कार्य के करने की विचार करे
- 7- सातवें भाग में सलाह मशवरा करे और ख़ुफ़िया लोगों को इधर-उधर भेजे
- 8- आठवे भाग में ऋत्विग् आचार्य तथा पुरोहित लोगों के साथ स्वस्त्यन(वेद-मंत्र) पाठ करे। वैद्य, पाचक तथा ज्योतिषियों के साथ बात-चीत करे।

राजा की सजगता

- शत्रु हमेशा नाराज, लोभी, भयभीत, तथा बेईज्जत लोगों से ही अपना काम निकालते हैं
- इसलिए ज्योतिष, शगुन बताने वाले तथा मुहूर्त निकालने वाले व्यक्ति के भेष में ख़ुफ़िया पुलिस के लोग इसका ध्यान रखें कि दुश्मन का उनसे सम्बंध जानते रहें
- राजा संतुष्ट लोगों को धन तथा इज्जत से खुश रखे और असंतुष्ट लोगों को साम, दान, भेद, दंड से अपने काबू में रखे।
- इस ढंग से वह अपने देश में छोटे-बड़े कृत्य (जो शत्रु के काबू में आ सके) तथा अकृत्य लोगों को दुश्मनों की गुप्त-मंत्रणा से सुरक्षित रखे

कूटनीति (Diplomacy)

चार उपाय (कूटनीति)

- आचार्य कौटिल्य ने कूटनीति के चार उपाय बताये हैं जो आज दिन-प्रतिदिन और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं:
- 1- साम
- 2- उपप्रदान (दान)
- 3- भेद
- 4- दंड

साम

- साम के पांच प्रकार बताये गए हैं:

- (A) गुण संकीर्त्तन- वंश, शरीर, कर्म, चरित्र, विद्या, तथा समृद्धि के विषय में गुण तथा अगुण का पता लगाकर प्रशंसा तथा स्तुति करने का नाम गुण संकीर्तन है

- (B) सम्बंधोपख्यान- जात, खून के सम्बन्ध, रिश्तेदारी, गुरु, पुरोहित, कुल, तथा हृदय-मित्र के संबंध में बातचीत करना

साम...

- (C) पर उपकार संदर्शन- स्वपक्ष और परपक्ष के पारस्परिक उपकारों को दिखाने का नाम है
- (D) आयति-प्रदर्शन- इस मामले में इस ढंग से बात करने से हम दोनों का लाभ होगा, इस तरह की आशा
- (E) आत्मोपनिधान- मुझमें तथा आपमें कोई भेद नहीं है इसलिए मेरी चीज को आप अपने काम में ला सकते हैं इस ढंग की बात

उपप्रदान, दंड और भेद

- २- उपप्रदान- धन अथवा ऐसी ही किसी वस्तु से उपकार करना या देने का नाम उपप्रदान है
- ३- भेद- झिड़कने या संदेह पैदा करने का नाम भेद है
- ४- दंड- मारना, तकलीफ या यंत्रणा देना, धन जब्त कर लेना दंड की विधा है

कामंदक की भेद-नीति

- कामंदक को भेद-नीति के तीन रुप मान्य हैं-
- 1- स्नेह-राग को नष्ट करना
- 2- परस्पर संघर्ष उत्पन्न करना
- 3- दूसरो को डरा देना

- वध, द्रव्यापहरन और क्लेश- ये ही तीन भेद दंद के हैं

राजनीति के गुण

- संधि: यदि किसी शत्रु पर चढ़ाई की जाय और वह अपने से बलवान हो तो उससे मेल कर लेने के गुण का नाम 'संधि' है
- विग्रह: यदि दोनों में समान गुण हो तो लड़ाई जारी रखना 'विग्रह' है
- यान: यदि शत्रु दुर्बल हो तो उस अवस्था में उसके दुर्ग पर आक्रमण किया जाय तो उसे 'यान' कहते हैं

गुण....

- आसन: यदि अपने ऊपर शत्रु का आक्रमण हो और शत्रु पक्ष प्रबल जान पड़े तो उस समय अपने को दुर्ग में छिपाए रखकर आत्मरक्षा करना आसन है

- द्वैधीभाव: मध्यम श्रेणी के दुश्मन के साथ द्वैधीभाव रखा जाता है अर्थात उपर से दूसरा भाव दिखाया जाता है तथा अंदर से दूसरा भाव रखा जाता है

- समाश्रय: आक्रमणकारी से पीड़ित होकर किसी मित्र राजा का सहारा लेकर लड़ाई छेड़ना 'समाश्रय' है

मंत्री की नियुक्ति तथा हृदय परीक्षा

अर्थशास्त्र.... प्रकरण 5

तेषां जनपदमभिजनमवग्रहं चाप्तः परीक्षेत, समानविद्येभ्यः शिल्पं शास्त्रचक्षुष्मत्तां च, कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च, कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्त्वं च, आपद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं च, संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढभक्तित्वं च, संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्वयोगमस्तम्भमचापलं च, प्रत्यक्षतः संप्रियत्वमवैरत्वं च । ३ ।

मंत्री की नियुक्ति

- एक मंत्री के लिए आवश्यक है कि वह स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान, चतुर, वाक्पटु,, गंभीर, समझदार, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़भक्ति, सुशील, समर्थ, स्वस्थ्य, गौरवयुक्त, अप्रमादी, इत्यादि गुण आवश्यक हैं

- जिनमें इसके एक चौथाई या आधे गुण हों उनको मध्यम या निकृष्ट समझना चाहिए। आधा से अधिक गुण हों तो कुछ अच्छा समझा जाता था

अर्थशास्त्र.....प्रकरण 6

त्रवगभयसशुद्धानमात्यान्स्वषु कमसु ।
अधिकुर्याद्यथाशौचमित्याचार्या व्यवस्थिताः ॥ १६ ॥
न त्वेव कुर्यादात्मानं देवीं वा लक्ष्यमीश्वरः ।
शौचहेतोरमात्यानामेतत्कौटिल्यदर्शनम् ॥ १७ ॥
न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्भसश्चरेत् ।
कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम् ॥ १८ ॥
कृता च कलुषा बुद्धिरुपधाभिश्चतुर्विधा ।
नागत्वान्तं निवर्तेत स्थिता सत्त्ववतां धृतौ ॥ १९ ॥
तस्माद्वाह्यमधिष्ठानं कृत्वा कार्ये चतुर्विधे ।
शौचाशौचममात्यानां राजा मार्गेत सत्त्रिभिः ॥ २० ॥

मंत्री के हृदय की परीक्षा

- सेनापति दिखावे में पद से हटाया जाय फिर वो जाकर मंत्रियों को राजा के नाश करने में धन का प्रलोभन दे और कहे कि “बाकि सब इस बात पर सहमत हैं, आपकी क्या सम्मति है?” यदि वह निषेध करे तो परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जाय।

- कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सैर करने के लिए बुलाये तो राजा घबराहट तथा उद्वेग दिखाकर उनको कैद कर दे। अब पहले से ही कैद में रखा खुफ़िया भेदी एक-एक करके भड़काए कि यह ‘राजा बहुत ही बुरा है। इसको मारकर अन्य किसी को राजा क्यों न बनाये। सबको मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है? यदि वह राजी न हो तो उनको भय कसौटी पर कसा जाय।

ख़ुफ़िया पुलिस की नियुक्ति

अर्थशास्त्र.....प्रकरण 7,8,9,10

परमर्मज्ञः प्रगल्भश्छात्रः कापटिकः । २ । तमर्थमानाभ्यां प्रोत्साह्य मन्त्री ब्रूयात्– 'राजानं मां च प्रमाणं कृत्वा यस्य यदकुशलं पश्यसि तत्तदानीमेव प्रत्यादिश' इति । ३ ।

प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्त उदास्थितः । ४ । स वार्त्ताकर्मप्रदिष्टायां भूमौ प्रभूतहिरण्यान्तेवासी कर्म कारयेत् । ५ । कर्मफलाच्च सर्वप्रव्रजितानां ग्रासाच्छादनावसथान् प्रतिविदध्यात् । ६ । वृत्तिकामांश्चोपजपेत् – 'एतेनैव वेषेण राजार्थश्चरितव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्थातव्यम्' इति । ७ । सर्वप्रव्रजिताश्च स्वं स्वं वर्गमेवमुपजपेयुः । ८ ।

ख़ुफ़िया पुलिस की नियुक्ति

- 1- कापटिक 2- उदास्थित 3- गृहपतिक 4- वैदेहक 5- तापस 6- सत्री 7- तीक्ष्ण 8- रसद 8- भिक्षुकी आदि अनेक विभाग हैं।

- **1- कापटिक:** विद्यार्थी के भेष में रहने वाले ख़ुफ़िया का नाम ही कापटिक छात्र है

- **2- उदास्थित:** बुद्धिमान सदाचारी उदासी सन्यासी के भेष में रहने वाले ख़ुफ़िया का नाम उदास्थित है

- **3- गृहपतिक:** बुद्धिमान, सदाचारी गरीब तथा बेकार गृहस्थ किसान के भेष में रहने वाले ख़ुफ़िया का नाम गृहपतिक है

ख़ुफ़िया.....

- **4- वैदेहक:** बुद्धिमान, सदाचारी, गरीब बनिया के भेष में ख़ुफ़िया का काम करने वाले लोग विदेह नाम से पुकारे जाते हैं

- **5- तापस:** सिर मुंडे हुए या जटाधारी के भेष में सरकारी काम करने वाले तापस कहलाते थे।

- **6- सत्री:** साधारण विज्ञान (लक्षण) हाथ देखना, मुंह से गोला तथा आग निकालना फलज्योतिष, तथा दूसरों के साथ मिलने-जुलने के काम को सीखे वह सत्री है

ख़ुफ़िया पुलिस और उनके कार्य

- **7- तीक्ष्ण:** जो शूर, निडर, तथा रूपये के खातिर हाथी, शेर लड़ाने वाले हों उनको तीक्ष्ण कहते हैं

- **8- रसद:** जो बंधु-बांधवों से प्रेम-रहित, क्रूर, तथा आलसी हों उनको रसद नियत किया जाय।

- **9- भिक्षुकी:** महलों में सत्कार पाने वाली, दरिद्र, विधवा ब्राह्मणी (सन्यासी के भेष में ख़ुफ़िया का काम करने वाली) भिक्षुकी या परिव्राजक कहलाती थी

ख़ुफ़िया व्यवहार के कुछ नियम

- भिन्न-भिन्न विभागों के प्रबंधकर्ता गुप्तलिपि तथा इशारों से ही ख़ुफ़िया को इधर-उधर भेजें। ख़ुफ़िया तथा उनके विभाग एक-दुसरे को जानने न पायें
- जहाँ ख़ुफ़िया भिखमंगी की पहुँच न हो वहां ढोंग रचकर करिगारिन, गवैया, आदि बनकर जाएँ
- तीन विभागों का समाचार यदि एक सदृश हो तो उसे सत्य समझा जाय
- कुछ ख़ुफ़िया लोगों को अपनी ओर से तनख्वाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बसाया जाय
- शत्रु,मित्र तथा साधारण लोगों के पीछे ख़ुफ़िया लगायी जाय तथा राजकीय विभागों को भी इससे मुक्त न रखा जाये

गुप्तचर नियम....

- घर में तथा अन्तःपुर में कुबड़े, बौने, पाखंडी, नाचरंग, आदि जानने वाली औरतें, गूंगे, भिन्न-भिन्न शक्ल वाले म्लेच्छ लोग किले के अंदर बनिये, व्यापारी, किलों के बाहर सिद्ध तथा तपस्वी, गाँव में किसान, प्रान्त में गड़ेरिये, जंगल में बनैले, जंगली तथा श्रमण लोग शत्रु की गति जानने के लिए ख़ुफ़िया का काम करें

- शत्रु के भेजे हुए गुप्तचरों का स्वराष्ट्र के गुप्तचर पता लगायें

- गुप्तचरों को भेजने वाले विभाग दृश्य तथा अदृश्य दोनों ढंग के होने चाहिए

- भिन्न-भिन्न तरीकों या युक्तियों से जिनकी राजभक्ति की परीक्षा की जा चुकी है ऐसे लोगों को शत्रु के गुप्तचरों तथा ख़ुफ़िया का पता लगाने के लिए राज्य के अंत में बसाया जाय।

अर्थशास्त्र.....प्रकरण 11

प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्त उदास्थितः । ४ । स वास्तोकमेप्रदिष्टायां भूमौ प्रभूतहिरण्यान्तेवासी कर्म कारयेत् । ५ । कर्मफलाच्च सर्वप्रव्रजितानां ग्रासाच्छादनावसथान् प्रतिविदध्यात् । ६ । वृत्तिकामांश्चोपजपेत् – ' एतेनैव वेषेण राजार्थश्चरितव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्थातव्यम् ' इति । ७ । सर्वप्रव्रजिताश्च स्वं स्वं वर्गमेवमुपजपेयुः । ८ ।

मंत्रणा के नियम

- मंत्रणा भवन सभी ओर से सुरक्षित तथा गुप्त होना चाहिए, वंहा से कोई भी खबर बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए
- मन्त्रभेदी को मृत्युदंड ही दिया जाय
- जब तक काम न हो तब तक मन्त्र में सम्मिलित लोगों पर कड़ी नजर रखें
- जिनके स्वार्थ को नुकसान पहुँचता हो उनसे बहुत देर तक सलाह-मशविरा न करें
- यह ध्यान रखें कि मंत्री लोगों से जब ऐसे पूर्ण या अपूर्ण कार्यों के विषय में सलाह ली जाती है जिससे उनका सीधा सम्बन्ध न हो तो बड़ी बेपरवाही के साथ सलाह देते हैं और उसे गुप्त भी नहीं रखते

अर्थशास्त्र..... प्रकरण 12

तान् राजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजदौवारिकान्तर्वंशिकप्रशास्तृसमाहर्तृसंनिधातृप्रदेष्टृनायकपौरव्यावहारिककार्मान्तिकमन्त्रिपरिषदध्यक्षदण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेषशिल्पभाषाभिजनापदेशान् भक्तितः सामर्थ्ययोगाच्चापसर्पयेत् । ६ ।

दूत की नियुक्ति

दूत की नियुक्ति

- सलाह देने में चतुर व्यक्ति ही दूत होना चाहिए
- जो आमात्य के गुणों से युक्त हो ऐसे दूत को राज्य कार्य सुपुर्द कर देना चाहिए
- जो एक चौथाई गुणहिन हो उसको सहायक मंत्री या प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया जाय
- आधे गुणों से युक्त व्यक्ति को आज्ञा-पत्र ले जाने वाला नियुक्त किया जाय
- समाचार तथा पत्र भेजना, संधि का पालन करवाना, मित्रों का संग्रह करना षड्यंत्र रचना, मित्रों को फाड़ना, कैदियों को भगाना, गुप्त रूप से सेना एकत्रित करना, ख़ुफ़िया पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, संधि भंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना इत्यादि इनके काम हैं

दूत के कुछ कार्य

- दूत किसी दूसरे देश जब राजाज्ञा लेकर जाये तो शत्रु के जंगल-रक्षक, सीमा-रक्षक, शैहर तथा गाँव के मुखिया से मिलता जाये
- इसका ध्यान देता जाये कि किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा है? कितनी अधिक शक्ति है? रक्षा का कैसा प्रबंध है? कमजोरी कहाँ पर है?
- राजा ने जो बात कही है, वही कहे! चाहे जान जाने का खतरा क्यों न हो?
- शत्रु देश में बहुत आदर, सत्कार पाकर फूल(अति मुग्ध) न हो जाये
- शत्रु राजा को कभी शक्तिशाली न समझे
- शत्रु राजा के कहने पर भी अपनी शक्ति का भांप न दे

अर्थशास्त्र.....प्रकरण 16

तत्र पूर्वे दिवसस्याष्टभागे रक्षाविधानमायव्ययौ च शृणुयात्। ९। द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्। १०। तृतीये स्नानभोजनं सेवेत, स्वाध्यायं च कुर्वीत। ११। चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांश्च कुर्वीत। १२। पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्र-संप्रेषणेन मन्त्रयेत, चारगुह्यबोधनीयानि च बुध्येत। १३। षष्ठे स्वैरविहारं मन्त्रं वा सेवेत। १४। सप्तमे हस्त्यश्वरथायुधीयान् पश्येत्। १५। अष्टमे सेनापतिसखो विक्रमं चिन्तयेत्। १६। प्रतिष्ठितेऽह्नि सन्ध्यामुपासीत। १७।

अर्थशास्त्र.....प्रकरण 23

संनिधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृहमायुधागारं बन्धनागारं च कारयेत् । १ ।

सन्निधाता (Treasurer) के कर्तव्य

- 1- कोशगृह- खजाना रखने का मकान
- 2- पन्यगृह- गोदाम
- 3- कोष्ठागार- धान्यभंडार
- 4- कुप्यगृह- जांगलिक द्रव्यों का गोदाम
- 5- आयुधागार- शस्त्रागार
- 6- बंधनागार- कैदखाना

अर्थशास्त्र....प्रकरण 24

समाहर्तां दुर्गं राष्ट्रं खनिं सेतुं वनं व्रजं वणिक्पथं चावेक्षेत । १ ।

शुल्कं दण्डः पौतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः सुरा सूना सूत्रं तैलं घृतं क्षारः सौवर्णिकः पण्यसंस्था वेश्या द्यूतं वास्तुकं कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारबाहिरिकादेयं च दुर्गम् । २ ।

राजस्व(Revenue) एवं इसके स्रोत

खजाना

राजस्व

- राजस्व के अंग:
- 1- दुर्ग: इससे तात्पर्य है- चुंगी, जुर्माना, तोलमाप, नगर-लेखक सिक्के का प्रबंधकर्ता, सरकारी मुहर का अध्यक्ष, शराबखाना, बूचड़खाना, सूत, तेल, घी, नमक, राजकीय सुनार, दुकान, जुआ, मकान, कारीगर, शिल्पी,
- 2- राष्ट्र: इसका तात्पर्य है: कृषिजन्य पदार्थ, धार्मिक कर (बली) बटाईकर, मुद्रा में लिया राजस्व, व्यापारीय कर, नौकाभाड़ा, चारागाह, रस्सी, हथकड़ी आदि
- 3- खनि: सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, नमक, पत्थर, रस संबंधी धातु
- 4- सेतु: फल-फूल के बगीचे, सब्जियों के खेत, शलगम, मूली आदि जो जमीन के नीचे जाने वाली सब्जियां तथा फल

राजस्व स्रोत

- 5- वन: बन से तात्पर्य- पशु, मृग, लकड़ी, हाथी, आदि के जंगलों से है
-
- 6- व्रज: गौ, भैस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा आदि
- 7- वणिक पथ: वणिक पथ से तात्पर्य स्थल मार्ग तथा नदी मार्ग से है
- ये सभी सम्मिलित रूप से राज्य के आमदनी के स्रोत हैं तथा आयशरीर कहलाते हैं
-

आय-व्यय(Income Expenditure)

आय-व्यय का लेखा-जोखा

- 1- करणीय: राज्य कार्य चलाना, नया कार्य शुरू करना, जीवनोपयोगी पदार्थों को एकत्रित करना, राजस्व इक्टठा करना तथा जाँच करवाना

- 2- सिद्ध: कोश में जमा किया गया, राजा के द्वारा ग्रहण किया गया, शहर पर खर्च किया गया, पिछले वर्ष से चला आया हुआ, राजा की लिखी तथा मौखिक आज्ञा के द्वारा कोश में जमा किया गया आदि

- 3- शेष: उत्पाद कामों के करने का विचार, बचा हुआ जुर्माना तथा राजस्व, हिसाब की गड़बड़, रद्दी तथा घटिया माल आदि शेष में सम्मिलित हैं

लेखा-जोखा...

- 4- आय: आय तीन प्रकार की होती है:
- (क) वर्तमान: प्रतिदिन मिलने वाली आमदनी को ‘वर्तमान आय’ के नाम से जाना जाता है

- (ख) पर्युषित: जो आमदनी पिछले साल की हो, दूसरे के हाथ में हो या चली गयी हो उसको ‘पर्युषित आय’ अर्थात पिछली आमदनी का नाम दिया जाता है

- (ग) अन्य जात: नष्ट, विस्मृत, राज्यकर्मचारियों का जुर्माना, आकस्मिक आय, नुकसान करने के बदले लिया गया धन, डाली या उपहार में आया धन, वह धन जिसका कोई भी मालिक न हो, आकस्मिक मिला हुआ खजाना आदी

- 5- व्यय: पूंजीविनियोग, अनुत्पादक काम में लगाया गया धन तथा बचत, व्यय चार प्रकार के हैं
- 6- नीवी: व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो धन बचे उसको नीवी कहते हैं और जो कि अगले वर्ष के हिसाब में समिल्लित कर ली जाती है

- इन तरीको के माध्यम से समाहर्ता अर्थात् वित्तमंत्री को राजस्व एकत्रित करने, आमदनी दिखाने और खर्च को विवेकपूर्वक घटाने का सुझाव दिया गया है

व्यापार और ग्राहक.....

- व्यपाराध्यक्ष, डंडीदारों की बेईमानी से प्रजा को बचाने के लिए तराजू तथा बट्टे का निरिक्षण करे

- जितने पण(माप) तोल में कम हो उसी के अनुसार दंड बढा दिया जाय
-
- जो लोग कारीगरों तथा शिल्पियों की मिश्रित पूँजी कंपनी के कम, आमदनी, विक्रय तथा क्रय को नुकसान पहुचाये तो उनपर सौ पण जुर्माना किया जाय

- नियत दाम के ऊपर जो सरकारी आज्ञा से स्वदेशी माल बेचे उस पर पांच सैकड़ा इनकमटेक्स और जो विदेशी माल बेचे दस सैकड़ा इनकम टैक्स लगाया जाय

- यदि माल का नुकसान हो जाय तो राजा व्यापारियों पर अपना अनुग्रह रखे

चोरी में दण्ड-विधान

- चोरी विषयक अभियोग में वाह्य तथा आन्तरिक पूछताछ की जाय तथा फिर अभियुक्त के बयान से मिलाया जाय
- जब तक ठीक मात्रा में सबूत न मिल जाय तबतक किसी से पूछताछ न की जाय
- जो किसी भले मनुष्य को चोर कहकर पकड़वाये या चोर को अपने घर में छिपाए, उसे चोर के समान ही दंड दिया जाएं
- चोर और अचोर के बीच का भेद समझना महत्वपूर्ण है

- अबोध बालक, वृद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूखे, प्यासे, थके, मांदे, अधिक दुर्बल, परेशान आदि को कोड़ो से नहीं दंड देना चाहिए

- व्यवहारिक दंड: 1- छ: प्रकार की छड़ी
- 2- सात प्रकार के कोड़े
- 3- दो प्रकार के ऊपर-नीचे के दंड
- 4- पानी की नली आदि के भेद

- भयंकर पापकर्म करने वाले को अट्ठारह प्रकार के दण्ड दिए जाएँ: 9 बेंते जांघ पर, 12 बेंते कमर पर, नक्तमाल की 20 बेत, हाथ पर 32, वृश्चिकबंध, हाथों में सुए गाड़कर चलाना

- ब्राह्मण को किसी भी प्रकार के अपराध में व्यवहार-विहिन तथा उपेक्षित करना उसका दंड था

- छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की घोषणा करने के बाद अपराधी ब्राह्मण को राजा देश निकाल दे या खानों में रहने भेज दे

- उन सभी लोगों को फांसी पर लटका दिया जाय जो किसी स्त्री तथा पुरुष को जान से मार डालें, बारम्बार वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दें, लोगों अकारण कष्ट दे, झूठी अफवाह फैलाएं, रास्ते चलते लोगों को लूटे पिटे मारें, अकारण किसी का मकान तोड़ें

- उनके सिर तथा हाथ में आग लगाकर मारा जाय जो राज्य के इच्छुक हों, अन्तःपुर में बदमासी के लिए घुसे हों, दुश्मन को उभाड़ते हों या किले, तथा सेना में ग़दर संबंधी विचार फैलाते हों

न्यायधीश को दंड

न्यायधीश के दंड

- यदि न्यायधीश पूछने योग्य बात को न पूछे, न पूछने लायक बात को पूछे, पूछ कर ही बीच में छोड़ दे तो उस न्यायधीश को दंड मिलना चाहिए

- यदि वह उचित परिस्थिति के विषय में न पूछे, अनुचित परिस्थिति के विषय में पूछे, बिना मौके के काम टाले, छल करे, देरी करके दोनों पक्षों को थकावे, जिस बात पर मुकदमें का फैसला होना हो उसको बीच में ही छोड़ दिया जाय, उसको बड़ा दंड दिया जाय

- जो न्यायधीश निरपराध को रुपयों में दंड दे तो उसका दोगुना, यदि शारीरिक दंड दे तो वही दंड उसको मिले या उसका दोगुना उससे लिया जाये

ग्राम संरचना

- दूसरे प्रदेशों से आये प्रवासी लोगों या अपने ही गांवों की घनी जनसँख्या को निकालकर गाँव बनाने का निर्देश राजा को है
- गाँव या तो बिल्कुल नयी जगह बसाये जाएँ या किसी पुराने अवशेष पर
- कम से कम 100 या अधिक से अधिक 500 परिवार जो कृषि में सक्षम हों ग्राम संरचना का हिस्सा हों
- ग्राम की सीमा नदि, पहाड़, जंगल, गुफा, सिल्क के पौधे तथा अन्य प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक वन, जंगल से बद्ध होने चाहिए

- ग्राम की बसावट ऐसी हो कि किसी संकट काल में एक-दूसरे की सहायता कर सकें
- कृषि करने में कुशल लोगों को ही कृषि भूमि देनी चाहिए जो अधिकतम मेहनत से कृषि कर सकें
- जो यज्ञ करने वाले हों, वेद-अध्ययन में लगे हों, आध्यात्मिक गुरु हों उनको ब्रह्मदेय भूमि देनी चाहिए, जिससे बस वो अपना कार्य कर सके
- भूमि उनसे ले ली जानी चाहिए जो कृषि नहीं कर रहे तथा उसे दूसरों को दे दिया जीना चाहिए

THANK YOU